

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
(पीतासीन अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प हिण्डौन

मुकदमा नं०
32/2021

किस्म मुकदमा
धारा 136 एल आर एक्ट

तारीख रजु
06.08.2021

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान वीरवती बनाम तहसीलदार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का पाली व भू.अ.नि. विजयपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सूरौठ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पाली तहसील सूरौठ जिला करौली की जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 54, 55, 56, 57, 58, 59 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पाली	54, 55, 56, 57, 58, 59 खसरा नं०:- 1057, 1058, 1059, 121, 122, 126, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155/1147, 734, 735, 1060, 1036, 1037, 315, 316, 1056, 120, 127, 128, 138, 139, 140, 141, 142, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 314, 541, 542, 543, 586, 917, 958, 964, 782	रामसिंह	रायसिंह नोट:- रामसिंह के स्थान पर रायसिंह दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

क्रमांक/कोर्ट/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार सूरौठ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्रीमती वीरवती पत्नि रायसिंह जाति जाट निवासी, पाली तहसील सूरौठ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन